भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं: 20-18/1/2023-प्रशिक्षण-नौमनि दिनांक: 27.02.2024

नौमनि परिपत्र सं 2024 का 03

विषय: यथा संशोधित समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण प्रमाणन एवं निगरानी के मानक (एसटीसीडब्ल्यू) संहिता, 1978 के भाग ए अध्याय VI के अनुसार अपेक्षित बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए संयुक्त प्रमाणपत्र की वैधता- संबंधी।

1. जबकि, यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू संहिता, 1978 का भाग ए, अध्याय VI आपातकाल, व्यावसायिक सुरक्षा, संरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल और उत्तरजीवन कार्यों से संबंधित मानकों से संबंधित है। उपरोक्त अध्याय के खंड A-VI/1 में सभी समुद्रकर्मियों के लिए सुरक्षा परिचितता, बुनियादी प्रशिक्षण और निर्देशों के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लेख है। यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अध्याय VI, खंड ए-VI/1 मद संख्या 2 में पोत पर किसी भी पद पर नियुक्त या कार्यरत, पोत के व्यवसाय पर, पोत के संचालन में निर्दिष्ट सुरक्षा या प्रदूषण निवारण कार्यों के साथ पोत के कर्मिदल के रूप में लगे समुद्रकर्मियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है।

2. जबकि, बुनियादी प्रशिक्षण में पर्सनल सर्वाइवल टेक्नीक्स (पीएसटी) में प्रशिक्षण या निर्देश शामिल हैं जैसा कि तालिका ए - VI/ 1-1 में दिया गया है, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग (एफपीएफएफ) जैसा कि तालिका ए-VI/1-2 में दिया गया है, एलिमेंटरी फर्स्ट ऐड (ईएफए) जैसा कि तालिका ए-VI/1-3 में दिया गया है और पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रेस्पॉसिबिलिटी (पीएसएसआर) जैसा कि तालिका ए-VI/1-4 में निर्धारित है।

3. जबकि, चार बुनियादी एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रम जैसे पीएसटी, एफपीएफएफ, ईएफए और पीएसएसआर छोटी अवधि के होने के कारण स्वतंत्र रूप से संचालित किए गए थे और प्रत्येक के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अलग-अलग प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रियाओं में अत्यधिक कागजी कार्रवाई, बढ़ी हुई जनशक्ति और संसाधन शामिल थे और बुनियादी एसटीसीडब्ल्यू प्रमाणपत्रों के सत्यापन और निगरानी को काफी जटिल बना दिया गया था। निदेशालय ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समुद्रकर्मियों को जारी किए जा रहे प्रमाणपत्रों के प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी हेतु दिनांक 21.03.2018 के नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र सं 06/2018 के माध्यम से सभी समुद्री प्रशिक्षण

संस्थानों (एमटीआई) को ऊपर उल्लिखित चार बुनियादी पाठ्यक्रमों के लिए एकल संयुक्त प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश जारी किए और इन पाठ्यक्रमों को ई-गवर्नेंस प्रणाली में "बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी ट्रेनिंग" के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

4. जबकि दिनाकं 21.03.2018 के नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र सं 06/2018 में आगे निर्देश दिया गया कि इस संयुक्त बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से असीमित होगी, बशर्ते कि समुद्रकर्मी पर्सनल सर्वाइवल टेक्नीक्स और फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पाठ्यक्रम के लिए हर 5 साल में एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा कर ले।

5. कोविड महामारी के दौरान प्रचलित प्रतिबंधों के अनुसरण में, निदेशालय ने शर्तों का संज्ञान लिया और दिनांक 01.05.2021 के नौमनि आदेश सं 17/2021 के माध्यम से, बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को "भाग ए" और "भाग बी" के रूप में दो भागों में विभाजित करने की अनुमति दी। । "पार्ट ए" प्रमाणपत्र उन समुद्रकर्मियों के लिए 18 महीने की वैधता के साथ जारी किया जाना था, जिन्होंने बिना प्रैक्टिकल के त्रि-स्तरीय शिक्षण तंत्र का पालन करते हुए उक्त "बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी कोर्स" पूरा कर लिया था। "पार्ट बी" प्रमाणपत्र पूर्ण वैधता के साथ उन समुद्रकर्मियों को जारी किया जा रहा था जिन्होंने "पार्ट ए" प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और एमटीआई में प्रैक्टिकल पूरा कर लिया है।

6. डिजिटल रूप से तैयार किए गए "पार्ट बी" प्रमाणपत्र में "पार्ट ए" प्रमाणपत्र के समान प्रमाणपत्र संख्या होनी चाहिए। दिनांक 21.03.2018 के नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र सं 06/2018 में निर्दिष्ट बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी कोर्स के विवरण के अनुसरण में और उपरोक्त अनुच्छेद 4 में कहे गए अनुसार "पार्ट बी" प्रमाणपत्र में बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सुरक्षा पाठ्यक्रम के लिए असीमित वैधता होगी, बशर्ते कि समुद्रकर्मी पर्सनल सर्वाइवल टेक्नीक्स और फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पाठ्यक्रम के लिए हर 5 साल में एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा करे ('भाग ए' के जारी होने की तारीख से)।

7. इसके अलावा, निदेशालय ने दिनांक 22.03.2022 के नौमनि आदेश संख्या 11/2022 के माध्यम से निर्देश दिया कि पाठ्यक्रमों के लिए "भाग ए" और "भाग बी" प्रमाणपत्र जारी करना दिनांक 21.03.2022 से बंद कर दिया जाएगा सिवाय उन समुद्रकर्मियों के लिए जिनके पास पहले से ही वैध "भाग ए" है और उन्हें "भाग बी" पूरा करना बाकी है।

8. दिनांक 21.03.2018 के नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र सं 06/2018 में निर्दिष्ट बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी कोर्स के विवरण के अनुसरण में और उपरोक्त अनुच्छेद 4 में कहे गए अनुसार दिनांक 21.03.2022 के बाद बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी पाठ्यक्रम शुरू करने वाले सभी समुद्रकर्मियों को एक बार फिर उक्त पाठ्यक्रम के लिए एक संयुक्त एकल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसकी असीमित वैधता होगी, बशर्ते कि समुद्रकर्मी पर्सनल सर्वाइवल टेक्नीक्स और फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पाठ्यक्रम के लिए हर 5 साल में

पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा कर ले।

9. निदेशालय एतद्वारा स्पष्ट करता है कि एकल समेकित प्रमाणपत्र के रूप में या "भाग ए" और "भाग बी" प्रमाणपत्र के रूप में जारी किए सभी बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी कोर्स प्रमाणपत्र

असीमित वैधता वाले माने जाएंगे, बशर्ते कि समुद्रकर्मी पर्सनल सर्वाइवल टेक्नीक्स और फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पाठ्यक्रम के लिए के लिए हर 5 साल में पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा कर ले।

10. इसे नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सविता राज)
कार्यकारी अधिकारी(ट्रेनिंग)

(अस्वीकरण: हिंदी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा)